न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 55/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्योप्रसाद पुत्र महादेवा जाति खाती निवासी कस्बा बानसूर थाने के पास, तहसील बानसूर जिला अलवर

2. गणपत पुत्र महादेवा जाति खाती निवासी कस्बा बानसूर थाने के पास तहसील बानसूर जिला अलवर

:––'– अपीलांट

बनाम

1 सुलतान पुत्र चुन्ना मृतक

1/1 गैंदी बेवाह सुलतान

1/2 गिरधारी पुत्र सुलतान

1/3 लालाराम पुत्र सुलतान

1/4 भोमाराम पुत्र सुलतान

1/5 हीराल ाल पुत्र सुलतान

1/6 नेतराम पुत्र सुलतान जातियान कुम्हार निवासीयान बाढ ठेंगुवास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/7 बिमला पुत्री सुलतान पत्नी जगमाल जाति कुम्हार निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

1/8 सुथीला पुत्री सुलतान पत्नी रामलाल जाति कुम्हार निवासी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

नांगलहेडी बैरावास तहसील थानागाजी जिला अलवर

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बानसूर

दिनांक 5.9.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 25.02.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 70/2000 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 5.9.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 268 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 269 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बाढ ठेंगूवास तहसील बानसूर काल्या उर्फ शंकर पुत्र नारायण उर्फ रूगला जाति खाती से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 27.4.1964 खरीद की थीं । बंदोबस्त विभाग ने प्रार्थी की खरीदथुदा आराजी के हाल नम्बर 719/785, 719/786, 718/787 बनाकर अप्रार्थीगण के पिता महादेवा पुत्र कन्हीराम के नाम खातेदारी दर्ज कर दी । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता महादेवा के खिलाफ वाद संख्या 18/1991 दायर किया जो डिक्री कर प्रार्थी की खरीद की गई भूमि का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया था । इजराय भी हो गई थीं । परन्तु जैसा कि वाद पत्र के जिम्मन नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

03 में निवेदन किया गया है कि बंदोबस्त विभाग ने प्रार्थी की खरीद की गई भूमि कुल रकबा 5 बीघाा 13 बिस्वा को 5 बीघा 8 बिस्वा दर्ज कर प्रतिवादी के पिता महादेवा के नाम अंकित कर दी । इस गलत इन्द्राज की आड में अब प्रतिवादीगण आये दिन मजाहमत करते हैं । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि स्वंय वादी प्रार्थी ने स्वीकार किया है कि उसने कुल किता 5 खसरा नम्बर कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा खरीदी है । ऐसी स्थिति में उसे शेष 5 बिस्वा की बाबत वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है । उसने कुल 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि खरीदी है और उतनी ही भूमि उसके पास है । ऐसे में उसे कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा की बाबत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता । इस 5 बिस्वा रकबा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे में हमको पाबन्द नहीं किया जा सकता । धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित नहीं किया गया है । अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2013 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 805 व 2019 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 217 का हवाला दिया ।

4 जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी वादी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि उसकी खरीदथुदा आराजी है और वक्त खरीदथुदा से ही उसका कब्जा चला आ रहा है । परन्तु बंदोबस्त विभाग ने गलत तौर पर उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी । जिसकी दुरूस्ती करवा ली गई थी । परन्तु फिर भी 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम ही रह गई,जिसकी आड में वे हमको बेदखल करने पर उतारू है और आये दिन मजाहमत करते हैं । इसलिये सही तौर पर इनको पाबन्द किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में 2018 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 157 का हवाला दिया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही अपीलीधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन निर्णय में तहत अदालत ने अंकित किया है कि प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिनियम एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला सम्पुष्ट की जाती है,पत्रावली फैसल शुमार हो । तहत अदालत का यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है,क्योंकि ना तो तहत अदालत ने उभयपक्ष की बहस का विवेचन किया और ना ही धारा 212 के तीनों बिन्दुओ को ही विवेचित किया है । जबकि धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित करते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिये था । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । लिहाजा धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करने हेतु विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पाारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 25.03.21 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर